# जनपद शामली पुलिस

**--सोशल मीडिया सेल शामली--**

**प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 17.09.2024**

**थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी मोटर साईकिल, लूटा गया सामान बेचकर प्राप्त व लूटी गयी नगदी तथा घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामदः-**

ज्ञात हो कि 21.08.2024 को श्री सचिन कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली मोटर साईकिल से अपनी विवाहिता बहन के साथ अपने ग्राम लांक आ रहे थे रास्ते में 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी बहन से कुंड़ल व नगदी छीन ली गयी थी तथा दिनांक 15.09.2024 को श्री सतबीर पुत्र श्री रामजीलाल निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली से 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटर साईकिल, नगदी व पैनकार्ड छीन लिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष कोतवाली शामली को घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 16.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 शातिर लूटेरो को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से लूटी गयी मोटर साईकिल, लूटा गया सामान (कुंड़ल) बेचकर प्राप्त व लूटी गयी नगदी कुल 2,650/-रुपये, एक पैन कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अवैध छुरा बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**अपराध का तरीकाः-** अभियुक्त रिंकू पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बजाना खुर्द थाना गन्नौर जनपद सोनीपत (हरियाणा) नें पूछताछ पर बताया कि साहब मेरी ससुराल नजीबाबाद बिजनौर में है। वहीं पडोस में विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत का भी आना जाना था। वहीं पर मेरी व विशाल की जान पहचान हुई थी। विशाल बागपत से कई मुकदमों में जेल भी जा चुका है। मैनें कुछ लोगो से कर्जा ले रखा था, जिन्हे वापस देने का तकादा आ रहा था तो मैने विशाल से अपनी मदद करने के लिए कहा तो विशाल ने मुझे राह चलते लोगो से लूट करने के लिये कहा फिर हम दोनो पिछले महीने शामली में लांक गांव के जंगल में गये और रास्ते के बगल में ईंख के खेत में छिप कर बैठ गये वहाँ पर हमें मोटरसाईकिल पर एक लडका और लडकी आते दिखाई दिये हमने उन्हे रोककर तमंचा दिखाकर डरा धमकाकर उस लडकी के दोनो कानों के कुण्डल और पर्स में रखे 5,000/- रुपये लूट लिये थे। कुंडल को हमनें राह चलते व्यक्ति को 6,000/- रुपये में बेच दिया था और रुपये हमने आपस में बांट लिये थे, बाकी पैसे मुझसे खर्च हो गये तथा उसी लूट से बचे 900/- रुपये पुलिस नें मुझसे बरामद कर लिये है। फिर कुछ दिन बाद हम लोग कुडाना गांव के जंगल में गये और मोटर साईकिल सवार व्यक्ति को तमंचा दिखाकर उसकी स्पलेण्डर मोटर साईकिल पेन कार्ड और 700/- रुपये लूट लिये थे। बाईक ले जाने को लेकर मेरे और विशाल के मध्य मारपीट हो गयी थी जिसमें मुझे व विशाल को चोटे भी आई थी, फिर हम दोनो में समझौता हुआ और विशाल नें 700/- रुपये तथा पेन कार्ड मुझे दिये थे तथा विशाल बाईक लेकर अपने घर चला गया था। अभियुक्त रिंकू की निंशादेही पर अभियुक्त विशाल उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त विशाल के घर से लूटी गयी मोटर साईकिल बरामद कर ली गयी है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-**

1.रिंकू पुत्र सुभाष निवासी बजाना खुर्द थाना गन्नौर जनपद सोनीपत (हरियाणा)।

2.विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरणः-**

1.लूटी गयी मोटर साईकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0 नं0 UP19R8514

2.लूटा गया सामान बेचकर प्राप्त व लूटी गयी नगदी कुल (2,650/- रुपये )।

3.लूटा गया एक पैनकार्ड।

4.एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।
5.एक अवैध छुरा।

**<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त विशाल उपरोक्तः-</u>**

1.मु0अ0सं0 114/20 धारा 353/354D/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
2.मु0अ0सं0 165/20 धारा 392/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
3.मु0अ0सं0 264/20 धारा 394/411 /414/504 भादवि सिंघावली अहिर जनपद बागपत।
4.मु0अ0सं0 268/20 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
5.मु0अ0सं0 270/20 धारा 307 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
6.मु0अ0सं0 271/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।
7.मु0अ0सं0 272/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।
8.मु0अ0सं0 276/20 धारा 414 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
9.मु0अ0सं0 324/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।
10.मु0अ0सं0 235/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।
11.मु0अ0स0 491/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली
12.मु0अ0सं0 548/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली

**<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्त रिंकू उपरोक्तः-</u>**

1.मु0अ0स0 491/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 548/24 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>**

1.श्री समयपाल अत्री थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.है0का0 सोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
4.है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
6.कां0 अमित सांगवान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वाछिंत 01 अभियुक्ता गिरफ्तारः-**

आज दिनांक 17.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 27.06.2024 को झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत दहेज हत्या के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को दिये गये थे। घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ता:-**

1.श्रीमती मीना पत्नी ओमपाल निवासी ग्राम म्यान थाना झिंझाना जनपद शामली।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 श्री राकेश गौतम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.म0है0का0 आशा थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 गुलफाम थाना झिंझाना जनपद शामली।

**<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से देशी शराब बरामदः-</u>**

दिनांक 17.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 19 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>**

1.सुभाष पुत्र सौदागर निवासी ग्राम मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली।

**<u>बरामदगी का विवरणः-</u>**

1.देशी शराब 19 पव्वे।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>**

1.उ0नि0 अशोक कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 यशपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.का0 अनुज कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

**<u>थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामलें में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>**

आज दिनांक 17.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना गढीपुख्ता क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 16.09.2024 को थाना गढीपुख्ता पर लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गढीपुख्ता पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

**<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>**

1.रियाजत पुत्र रियासत निवासी मौहल्ला रैदासपुरी कस्बा व थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>**

1.निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार प्रभारी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2.का0 सचिन शर्मा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

**थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरा में मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

ज्ञात हो कि दिनांक 04.09.2024 को वादी जानसार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, गाली गलौच व जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरा में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.इन्सार पुत्र नवाब निवासी मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

**आपराधिक इतिहासः-**

1.मु0अ0सं0 365/2024 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 नवजीत कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

**थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-**

आज दिनांक 17.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-**

1.शुभम पुत्र रविदास निवासी मौहल्ला रविदासपुरी कस्बा व थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 7,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-**

1. वर्ष 2018 में अभियुक्त विकास पुत्र सकटू निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 524/2018 धारा 279/337/338/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)/JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2018 में अभियुक्त बाबर पुत्र नूरहसन निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 555/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 1,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 1997 में अभियुक्त प्रेम सिंह पुत्र वीरसैन निवासी मौहल्ला गुजरान थाना बिनौली जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 229/1997 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2014 में अभियुक्त तौसिफ पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 116/2014 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 17.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

**नाम व पता अभियुक्तगण:-**

1.विकास पुत्र सकटू निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली।
2.बाबर पुत्र नूरहसन निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3.प्रेम सिंह पुत्र वीरसैन निवासी मौहल्ला गुजरान थाना बिनौली जनपद मेरठ।
4.तौसिफ पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला कलन्दरशाह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI**